


तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/12/23	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में तामील शुदा प्राप्त जिन्हें शामिल मिशल किया गया। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खेतों की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्रार्थीगणों एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीगणों को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाजमेर </p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 1476
राजस्व आवेदन संख्या - 190/19

दिनांक:-
27/12/2023

प्रार्थीगण

श्री सवाईसिंह पुत्र तगसिंह
वगैरा 3 जाति राजपूत निवासी
धांधुपुरा, तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री केसाराम पुत्र जलाराम वगैरा 15
निवासी धांधुपुरा, तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-धांधुपुरा, पटवार मण्डल-खोखर, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 307 रकबा 15.10 बीघा व मौजा मुकनगढ़ पटवार मण्डल-खोखर, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1168/523, 1172/536 रकबा क्रमशः 11.10, 16.15 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित हानि पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/ 1477-80
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, खोखर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री सवाईसिंह पुत्र तगसिंह वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री केसाराम पुत्र जलाराम वगैरा 15।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:-
जिला - बाड़मेर

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर